द्वारा ई–मेल/फैक्स/महत्वपूर्ण

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

संख्याःपॉच–2500–(संयुक्त–वरिष्ठता)/2017 दिनांकःअक्टूबर 04 ,2018

सेवा में ,

1–समस्त विभागाध्यक्ष अजनपदीय शाखा, पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश।

2–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

विषयः–आरक्षी नागरिक पुलिस से मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर वरिष्ठता के आधार पर (अनुपयुक्तों को छोड़कर) पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये वर्ष–2004 तक के भर्ती आरक्षी ना0पु0 के पदोन्नति आदेश निर्गत करने एवं मुहर बन्द लिफाफे का रख–रखाव/निस्तारण के सम्बन्ध में ।

कृपया उपरोक्त सन्दर्भ में अवगत कराना है कि आरक्षी नागरिक पुलिस से मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही उत्तर प्रदेश आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली–2015 (यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,, स्तर पर सम्पादित करायी गयी है।

2– उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्याः पीआरपीबी–तीन–3(5)–2017 दिनांकः 06–10–2018 के माध्यम से प्राप्त चयन समिति की संस्तुतियों को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा तीन प्रकार की सूचियां उपलब्ध करायी गयी हैं :–

क– आरक्षी ना0पु0 से मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये कर्मी।

ख– जिन कर्मियों के चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखा गया है।

ग– ऐसे कर्मी जिनके सेवा अभिलेख अपूर्ण होने के कारण उनकी उपयुक्तता के बारे में वस्तु–निष्ठ निर्णय न लेकर प्रकरण अविचारित रखते हुये स्थगित किया गया है।

3– उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली–2015(यथा संशोधित) के नियम 3(ख) के अनुसार आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी के नियुक्ति प्राधिकारी **"पुलिस अधीक्षक "** हैं, चयन समिति द्वारा जिन कर्मियों को मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद पर पदोन्नति हेतु उपुयक्त पाया गया है, उनकी सूची संलग्न कर प्रेषित है एवं जिन कर्मियों के विरूद्ध शासनादेश संख्याः13/21/89–क–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–2(क) (ख) (ग) में परिस्थितियां विद्यमान होने के आधार पर उनके चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखा गया है, उनकी उनकी अलग–अलग सूचियां एवं सम्बन्धित मुहर बन्द लिफाफे मूलरूप से निम्नलिखित निर्देशों के साथ अग्रेतर कार्यवाही हेतु पृथक से भेजा जा रहा है :–

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये कर्मियों के पदोन्नति आदेश निर्गत करने से पूर्व **संलग्न प्रारूप–क** में स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र लेकर यह सुनिश्चित करेंगें कि सम्बन्धित कर्मी के विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील)नियमावली–1991 के नियम 14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है तथा वर्तमान में कर्मी निलम्बित नहीं है।

(2) यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में प्रस्तर–3(1) में अंकित परिस्थितियां विद्यमान नहीं है, तो सम्बन्धित कर्मियों को **संलग्न प्रारूप–ख** के अनुसार उनके मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद पर पदोन्नति आदेश निर्गत किये जायेगें तथा वे नियुक्ति स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करेगें।

(3) उपरोक्त चयन सूची में ऐसे आरक्षी भी हो सकते हैं, जो अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गये हों, ऐसे कर्मियों के पदोन्नति आदेश निर्गत नहीं किये जायेगें तथा वस्तु–स्थिति से पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद को अवगत कराया जायेगा।

(4) यदि सम्बन्धित कर्मी जनपद/इकाई से अन्यत्र स्थानान्तरित हो गया हो तो तत्काल अपने स्तर से उसके नवनियुक्ति जनपद/इकाई को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अवगत करायें तथा उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय को भी सूचित करें।

(5) यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में प्रस्तर–3(1) में अंकित परिस्थितियां विद्यमान पायी जाती हैं तो सम्बन्धित कर्मी के पदोन्नति आदेश निर्गत न किये जायें तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को उपलब्ध कराते हुये दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

(6) **उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा वर्ष–2004 तक के भर्ती आरक्षी ना0पु0 को मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी है। यदि संलग्न सूची में वर्ष–2004 के बाद के भर्ती किसी आरक्षी का नाम सहबन अंकित हो गया हो तो उसका पदोन्नति आदेश निर्गत नहीं किया जायेगा तथा वस्तु–स्थिति से पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को अवगत कराया जायेगा।**

(7) पदोन्नति प्राप्त समस्त मुख्य आरक्षी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षणाधीन रहेगें, जिसे उ0प्र0 पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली–2015(यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा के दौरान परिवीक्षादीन व्यक्ति से ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी, जैसे कि पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश विहित किया जायेगा। इसके प्रशिक्षण के सम्बन्ध में अलग से निर्देश जारी किये जायेगें।

(8) चयन समिति द्वारा जिन कर्मियों के प्रकरण को शासनादेश संख्याः13/21/89–क–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–2(क) (ख) (ग) में अंकित परिस्थितियां विद्यमान होने के आधार पर उनके चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफें में रखा गया है, उनके मुहर बन्द लिफाफे को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अपने व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखा जायेगा।

(9) जिन कर्मियों के चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखा गया है, उन कारणों से सम्बन्धित कर्मियों को अवगत कराया जायेगा तथा प्राप्त प्रत्यावेदनों में दर्शाये तथ्यों के अद्यावधिक स्थिति ज्ञात कर शासनादेश दिनांकः 28–05–1997 के अनुसार उनके निस्तारण के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अग्रेतर कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

(10) पूर्ववर्ती चयनों के आधार पर मौलिक रूप से मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद पर कार्यरत मुख्य आरक्षी वर्तमान चयन में प्रोन्नत किये जा रहे मुख्य आरक्षियें से ज्येष्ठ होगें तथा उनकी पारस्परिक वरिष्ठता नियमों के अनुसार पृथक रूप से निर्धारित की जायेगी।

(11) चयन समितियों द्वारा जिन कर्मियों के सेवा अभिलेख अपूर्ण होने के कारण उनके पदोन्नति प्रकरण को अविचारित रखा गया है(सूची संलग्न है) उन कर्मियों के सेवा अभिलेख पन्द्रह दिवस के अन्दर पूर्ण कराकर बोर्ड प्रपत्र–3 में सूचनाएं चरित्र पंजिका सहित पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

4– चयन समिति द्वारा पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये वर्ष–2004 तक के भर्ती कर्मियों की सूची संलग्न कर प्रेषित है तथा सूची को उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर भी प्रकाशित किया जा रहा है।

5– चयन समिति द्वारा जिन कर्मियों के चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखा गया है तथा ऐसे कर्मी जिनके सेवा अभिलेख अपूर्ण होने के कारण उनकी उपयुक्तता के बारे में वस्तु–निष्ठ निर्णय नही लिया जा सका है, उनकी सूचियां अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु जोनल पुलिस/विभागाध्यक्ष के माध्यम से यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

6– अतः अनुरोध है कि उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा की गयी संस्तुति के अनुरूप आरक्षी ना0पु0 से मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त कर्मियों, जिसकी सूची संलग्न है, से **प्रारूप–"क"** के अनुसार घोषणा पत्र प्राप्त कर, **प्रारूप–"ख"** के अनुसार उनके पदोन्नति आदेश निर्गत करते हुये, उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराते हुये कृत कार्यवाही से उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार

पुलिस अधीक्षक, प्रशासन/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– समस्त जोन अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

2– समस्त परिक्षीत्र पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि यदि किन्हीं कारणों में जनपद में वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उपलब्ध न हो तो सम्बन्धित जनपद के पदोन्नति आदेश निर्गत करने हेतु अपने परिक्षेत्र के अन्तर्गत किसी वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक को अधिकृत करने का कष्ट करें।

3– समस्त कार्यालयाध्यक्ष, अजनपदीय शाखा, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

4– पुलिस महानिरीक्षक, एन0आई0ए0, 1/131 विजय खण्ड गोमतीनगर लखनऊ।

5– निदेशक, अन्य पिछड़ा वर्ग, निदेशालय, इन्दिराभवन लखनऊ।

6– आयुक्त व्यापार कर विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।

7– पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 लखनऊ।

8– पुलिस अधीक्षक, सी0बी0आई0 लखनऊ।

9– पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान, उ0प्र0 लखनऊ।

10– पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उ0प्र0लखनऊ।

11– पुलिस अधीक्षक, वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र लखनऊ।

12– संयुक्त सचिव, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद।

13– सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

14– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौ0बु0नगर।

15– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौ0बु0नगर।

16– संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

17– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्प्रेस वे विकास प्राधिकरण, गौ0बु0नगर।

संख्याः व दिनांक वही

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2– अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रारूप–(क)

घोषणा पत्र

मै, शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ).....

.पुत्र.....निवासी.....

थाना.....जनपद.....वर्तमान में (जनपद/इकाई).....

.....में नियुक्त हूँ। उक्त सम्बन्ध में मै प्रमाणित करता हूँ कि मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एंव अपील) नियमावली–1991 के नियम 14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई अपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। मेरे द्वारा प्रमाणित घोषणा पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे पदोन्नति आदेश को निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत कर दिया जाये। यदि घोषणा पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप में होशो हवाश में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा। घोषणा पत्र में उल्लिखित तथ्यों का मेरे द्वारा पालन न किये जाने पर मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अनुसार नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर
नाम–
पीएनओ
पदनाम
नियुक्ति का स्थान
दिनांक

यदि शपथकर्ता के विरूद्ध उपरोक्तानुसार विभागीय कार्यवाही अथवा अपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित है, तो उसका पूर्ण विवरण शपथकर्ता द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर
नाम–
पीएनओ
पदनाम
नियुक्ति का स्थान
दिनांक

प्रारूप–ख

कार्यालय वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक.....

संख्याः दिनांकः

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली–2015(यथासंशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा निम्नलिखित आरक्षी ना0पु0/आरक्षी एल0आई0यू0/ मुख्य आरक्षी ना0पु0(वि0श्रे0) एवं मुख्य आरक्षी एल0आई0यू0(वि0श्रे0) को मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया है।

क्रमांक	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	भर्ती की तिथि	भर्ती का वर्ष	नियुक्ति स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							

2– उपरोक्त अनुमोदित कर्मियों द्वारा प्रस्तुत स्व–घोषणा पत्र में यह घोषणा की गयी है कि उनके विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एंव अपील) नियमावली–1991 के नियम 14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई अपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। स्व–घोषणा पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य पाया जाता है तथा यह पाया जाता है कि कोई तथ्य छिपाया गया है तो उनकी पदोन्नति निरस्त कर मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा तथा विधिक कार्यवाही की जायेगी।

3– अतः उपरोक्त कर्मियों को प्राधिकृत बोर्ड द्वारा मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत स्व–घोषणा पत्र के आधार पर इन्हें तात्कालिक प्रभाव से मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है। पदोन्नति पाये समस्त मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस अपनी नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगें तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगें, जिसे सेवा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि में ही मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के पद के लिये पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा विहित प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण के सम्बन्ध में अलग से दिशा–निर्देश जारी किये जायेगें।

वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद
जनपद–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–
2–
3–

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ प्रेषित :–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, जोन.....
2– पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक–परिक्षेत्र.....
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।
4–
5–